FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला मजिस्ट्रेट व कलक्टर मुकाम नागौर

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

शिवकरण पुत्र आईदानराम
जाति जाट निवासी खरनाल
तहसील मूण्डवा जिला नागौर

1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर
2. परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, वृत जोधपुर रातानाडा

किस्म मुकदमा अवमानना प्रार्थना पत्र **संख्या** 15 **सन्** 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.08.19	इस न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या 90/2017 शिवकरण बनाम भारत संघ वगैरह में पारित आदेश 14.06.2018 की अप्रार्थी द्वारा पालना नहीं करने के संबंध में प्रार्थी ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. के तहत पेश किया है। अवमानना प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । अप्रार्थी संख्या 1 साधारण डाक से व अप्रार्थी संख्या 2 जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब होकर पत्रावली दिंनाक 05.09.2019 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
5.9.19	वकील प्रार्थी उप०। श्रीमान P.O. साहब आज राजकीय दौरे पर है। अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस बाद तामील शा. मि. है। पत्रावली दिनांक 23.9.19 को पेश हो।	
23.9.19	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिवकरण बनाम भारत संघ में दिनांक 14.06.2018 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या–4(3) में दिये गये तथ्यों में संबंध में आवश्यक जॉच एवं कार्यवाही कर यथाशीघ्र विधि अनुसार कार्यवाही करने के प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के सन्दर्भ में प्रार्थी ने उसी समय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष न्यायालय हाजा के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु आवेदन पत्र के साथ उक्त आदेश दिनांक 14.06.2018 की प्रति व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि के संबंध में दस्तावेज पेश किये, जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार तहसीलदार मूण्डवा व उप पंजीयक मूण्डवा व परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता रा.उ.मा. वृत जोधपुर को नोटिस भेजे गये व प्रार्थी को भी नोटिस दिया गया तथा उक्त तीनों अधिकारीगण से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई। प्रकरण में आगामी पेशीयां भी प्रार्थी को दी जाती रही। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश पारित किये हुऐ आज दिन करीब 1 वर्ष 3 माह बाद भी तथा	

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.9.19 (नागौर)	आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.06.2018 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं की जिस पर प्रार्थी ने यह अवमानना का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। हाल ही में प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के यहां पता करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी के प्रकरण में सम्पूर्ण रिपोर्टें आदि प्राप्त करने के पश्चात अब करीब 1 वर्ष 3 माह बाद बिना किसी विधिक अधिकार के न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 को रिव्यू करने हेतु न्यायालय हाजा को भिजवाया है, जो कतई उचित नहीं है। पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को रिमाण्ड करने पर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशानुसार सुनवाई कर समुचित निर्णय पारित किये जाने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 के क्रम में शीघ्र निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित करने व प्रार्थी को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भुगतान करने हेतु संशोधित अवार्ड जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी के निवेदन पर हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर प्रस्तुत रिव्यू के प्रार्थना पत्र को इस पत्रावली में शा.मि. किया गया। जहां तक हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अवमानना का बिन्दू है। यह तथ्य माने जाने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी स्वंय के कथनानुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर प्रकरण दर्ज कर नोटिस इत्यादि जारी कर रिपोर्ट आदि प्राप्त की गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया ही यह मामला अवमानना होना नहीं बनता है। न्यायालय हाजा द्वारा भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–90/2017 शिवकरण बनाम भारत संघ वगैरह में दिनांक 14.06.2018 को आदेश पारित कर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिये गये थे। अब 1 वर्ष 3 माह बाद उक्त आदेश को रिव्यू करना उचित नहीं है। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा प्राधिकृति अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ एवं प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को इस प्रकार के प्रकरणों में बाद सुनवाई विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के आदेश पर उनके द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश पर कार्यवाही की गई है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 के सन्दर्भ में यथाशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय द्वारा निर्णित पत्रावली भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या 90/2017 शिवकरण बनाम भारत संघ वगैरह निर्णय दिनांक 14.06.2018 की पत्रावली पुनः रिकार्ड अनुभाग कलेक्ट्रेट नागौर को लौटाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:06:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: